उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

—::— ज्ञा प न —::—

क्रमांक B/342 /
चार–4–8/16

जबलपुर, दिनांक 17/जनवरी, 2017

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
समस्त (म0प्र0)।

प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
समस्त (म0प्र0)।

विषय :— प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष में वातानुकूलित संयंत्र स्थापित करने संबंधी नीति बाबत्।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपकी ओर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष में वातानुकूलित संयंत्र स्थापित करने संबंधी तैयार की गई नीति (हिन्दी रूपांतरण) की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष में वातानुकूलित संयंत्र स्थापित करने संबंधी तैयार की गई नीति की प्रतिलिपि आपकी स्थापना में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों के मध्य परिचालित की जावे तथा उक्त नीति के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष में वातानुकूलित संयंत्र स्थापित करने के संबंध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

16.1.17

(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

मध्यप्रदेश राज्य के न्यायिक अधिकारियों के प्रकोष्ठ/विश्राम कक्ष तथा न्यायालय कक्ष में वातानुकूलित संयंत्रों के प्रतिष्ठापन के संबंध में नीति

1. राज्य में नवीन जिला न्यायालय भवन की सभी भावी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) मे वातानुकूलित संयंत्रों के प्रतिष्ठापन का उपबंध किया जायेगा।

2. प्रथम चरण में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की श्रेणी तक के न्यायिक अधिकारियों के प्रकोष्ठ/विश्राम कक्ष तथा न्यायालय कक्ष में वातानुकूलित संयंत्रों के प्रतिष्ठापन का उपबंध निगमित एवं अनुज्ञात किया जायेगा। तथा ऐसा ही द्वितीय चरण में विद्यमान न्यायालय परिसरों के अन्य प्रकोष्ठ/विश्राम कक्ष एवं न्यायालय कक्षों में किया जायेगा।

3. संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण अपनी स्थापना के अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की श्रेणी तक के विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के विभिन्न प्रकोष्ठों, न्यायालयीन कक्षों, सम्मेलन कक्षों, मध्यस्थता हॉल, कम्प्यूटर कक्ष, सर्वर कक्ष एवं प्रस्तुति केन्द्रों में वातानुकूलक/वातानुकूलित संयंत्रों के प्रतिष्ठापन के संबंध में प्रत्येक न्यायालयीन कक्ष/प्रकोष्ठ के आकार का उल्लेख करते हुए प्राक्कलन अग्रेषित करेंगे।

4. संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा नियम 2016 के उपापन के सुसंगत उपबंधों का सम्यक अनुपालन करने के पश्चात् उन पर कार्यवाही करते हुये कथित प्राक्कलन रजिस्ट्री के अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेंगे।

5. संबधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण निरपवाद रूप से प्रत्येक न्यायालय कक्ष/प्रकोष्ठों में वातानुकूलक अथवा न्यायालय प्रक्षेत्र में वातानुकूलित संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की संख्या एवं विशिष्ट क्षमता की आवश्यकता का औचित्य ठहराते हुए लोक निर्माण विभाग के अभियंता का तकनीकि प्रतिवेदन संलग्न करेंगे। वातानुकूलित संयंत्रों से प्रतिष्ठापन का प्राक्कलन वातानुकूलक के वायु परिसंचारण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और पीठासीन अधिकारियों के न्यायालय कक्षों एवं प्रकोष्ठों के मापदण्ड के अनुसार होगा।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय कक्षों में आसंदी के लिए अधिकतम 2.0 टन का एक वातानुकूलित संयंत्र तथा न्यायालय कक्षों के शेष क्षेत्र के लिए 2.0 टन के 3 वातानुकूलित संयंत्र तथा पीठासीन अधिकारी (अतिरिक्त जिला न्यायाधीशगण/ विशेष न्यायाधीशगण /प्रधान न्यायाधीशगण/ अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीशगण) के प्रकोष्ठ के लिए 1.5 टन का एक वातानुकूलित संयंत्र लगाया जा सकेगा जिसमें जिला न्यायाधीश का प्रकोष्ठ अपवादस्वरूप होगा, जहॉ पर अधिक क्षेत्र के फलस्वरूप 2.0 टन का एक अतिरिक्त वातानुकूलित संयंत्र तथा यदि प्रकोष्ठ जुड़ा हुआ कोई पूर्ववर्ती कक्ष हो तो उसमें 1.5 टन का एक अतिरिक्त वातानुकूलित संयंत्र लगाया जा सकेगा।

16/1/17

6. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की श्रेणी तक के न्यायिक अधिकारियों के प्रकोष्ठ/विश्राम कक्ष एवं न्यायालय कक्ष दोनों में वातानुकूलित संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अनुमति शीर्ष क्रमांक 22 कार्यालय व्यय, उपशीर्ष 033 ''फर्नीचर एवं कार्यालय उपस्कर'' के अंतर्गत प्रदान की जायेगी।

16/1/17

(मनोहर ममतानी)
रजिस्ट्रार जनरल
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
जबलपुर